24.12.24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.। वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा कर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS
2011/00044

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:40:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

पीठासीन अधिकारीः–श्रीमान संदीप कुमार काकड़ आर.ए.एस

प्रकरण सं0ः–164/2011 GCMS:- 2011/00044 दायरा दिनांकः–24.10.2011

रामचन्द्र पुत्र श्री भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी मोकलसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
...वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वाराः–श्रीमान तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
2. श्री खेताराम पुत्र मघाराम जाति मेघवाल निवासी मोकलसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
3. श्री मुखराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी मोकलसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।

..प्रतिवादीगण

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, राकेश सारस्वत, अभिभाषक(वादी)
2. श्रीमान तहसीलदार प्रतिवादी नं0 1 स्वयं हाजिर
3. श्री राजवीर भादू, अभिभाषक (प्रतिवादी नं0 2)
4. प्रतिवादी नं0 3 बाद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः– 24.12.2024

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में विचारण तथ्य पत्रावली इस प्रकार से है कि वादी द्वारा एक वाद वास्ते घोषणा इस कथन के साथ प्रस्तुत किया की रोही मोकलसर के खसरा नं0 138 में 75 बीघा भूमि आरजी काश्त पर आंवटन थी। नकल गिरदावरी सम्वत 2024 से 38 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की एवं कथन किया कि सम्वत 2038 ता 39 में चकबंदी की गई तब वादी के कब्जा काश्त की भूमि वादी के नाम पैमूद नही उक्त 75 बीघा भूमि मे से 50 बीघा भूमि चक 92.600 आरडीएल में पैमूद की गई जिसकी नकल प्रस्तुत की गई। वादी के कब्जा काश्त की चक 92.600 आर डी एल तहसील सूरतगढ़ के प0न0 126/20 के किला नं0 1, 10, 11, 19, 22 की 5 बीघा रकबा राज दर्ज कर दी जिसकी नकल वाद के साथ प्रस्तुत की। यह जमाबंदी में 126/20 के स्थान पर प0न0 106/20 में दर्ज कर दी जो गलत है। उक्त 5 बीघा पर वादी का लगातार कब्जा काश्त है। वादी प्रश्नगत भूमि का आरजी काश्तकार है मौके पर कब्जा है तथा वह अपने कब्जा काश्त भूमि का आरजी काश्तकार घोषित होने का पात्र है व ,खाता सं0 04 में अंकित उक्त भूमि जो खाता संख्या 4 में प0न0 106/20 में किला नं0 1, 10, 11, 19, 22 की प0न0 106/20 में दर्ज है को प0न0 दुरूस्त करवाकर चक 92.600 आर डी एल तहसील सूरतगढ के प0न0 126/20 का किला नं0 1, 10, 11, 19, 22 की 5 बीघा का आरजी काश्तकार गैर–खातेदार काश्तकार घोषित होने का पात्र है व प्रतिवादी न0 01 [illegible] के खिलाफ निषेधाज्ञा चाही की वे उसकी भूमि हस्तक्षेप ना करें। वाद [illegible] बाद सुनवाई दिनांक 10.03.1992 को स्वीकार कर डिक्री जारी की गई कि वादी चक 92.600 [illegible] की जमाबंदी सम्वत् 2003 के खाता संख्या 04 के प0न0 106/20 के स्थान पर प0न0 126/20 दर्ज किया जावें व वादी के खिलाफ धारा 22 कोल–एक्ट की कार्यवाही निरस्त की जावें।

...........लगातार 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:40:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उक्त आदेश के विरूद्ध संशोधित वाद के प्रतिवादी नं0 2 व 3 द्वारा अपील, राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की जो स्वीकार की गई व पत्रावली अपीलांट को सुनकर पुनः निर्णय पारित करने के आदेश दिनांक 03.06.2001 को हुए जो राजस्व मंडल द्वारा यथावत रखे गयें। पत्रावली राजस्व अपील अधिकारी से रिमांड़ होने पर प्राप्त हुई एव पुनः दर्ज रजिस्टर कर आदेश राजस्व मंड़ल अजमेर की अनुपालना में वादी से संशोधित वाद प्राप्त किया, वादी द्वारा संशोधित वाद में प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त कर पुनः तनकीयात कायम की गई जो कि निम्न प्रकार से कायम की गई:—

1. आया वादी रोही माकलसर के खसरा नं0 138 में 75 बीघा का अस्थाई कृषक है ?................ वादी
2. आया वादी का रकबा रोही मोकलसर के खसरा नं0 138 से चक बंदी में चक नं0 92.600 आर डी एल के प0न0 126/20 के किला नं0 1, 10, 11, 19, 22 की कुल 5 बीघा भूमि में परिवर्तित किया गया है ? .... वादी
3. आया वादी विवादित 5 बीघा भूमि पर अस्थाई आवंटन के समय से की काबिज रहकर काश्त करता है एवं स्वयं की उक्त 5 बीघा का कृषक घोषित होने का पात्र है? .... वादी
4. आया वादी चक 92.600 आर डी एल के प0न0 106/20 के स्थान पर कब्जे के आधार पर खाता में 126/20 दर्ज राजस्व का अधिकारी है ? .... वादी
5. आया प्रतिवादी नं0 01 खेताराम का चक 92.600 आर डी एल के प0न0 126/20 के किला नं0 1, 10, 11, 19, 22 की कुल 5 बीघा पर कब्जा ना मानकर फिटिग दूरूस्ती की पत्रावली नं0 11/93 दिनांक 13.12.1996 एवं अपील नं0 77/95 निर्णय दिनांक 20.05.1997 दोनो पत्रावली खारीज हो चुकी है। ये दोनो निर्णय वर्तमान में अन्तिम रूप ले चुके है प्रतिवादी खेताराम का उक्त 5 बीघा भूमि का कोई हक नही है ? .... वादी
6. आया वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी श्रेणी का काश्तकार ना होने से वाद लाने का अधिकारी नही है इसलिए वाद पत्र खारिज हो गया है ?................ प्रतिवादी 02 व 03
7. आया जैरवाद रकबा चक 92.600 आर डी एल का प0न0 126/20 का किला नं0 1, 10, 11, 19, 22 का 5 बीघा प्रतिवादीगण की आवंटित रोही मोकलसर के खसरा नं0 138 के पैमूद होने से उक्त रकबा वादी के नाम दर्ज नही किया जा सकता ? .... प्रतिवादी नं0 02 व 03
8. आया जैरवाद रकबा से सम्बन्धित प्रकरण माननीय राजस्व मंड़ल में जैरकार होने होने से वाद चलने योग्य नही है ? .... प्रतिवादी नं0 02 व 03
9. अनुतोष

उपरोक्त तनकीयात कायम करने के उपरान्त साक्ष्य पक्षकारान प्राप्त किये गये। वादी द्वारा स्वयं के शपथ पत्र ब्यान प्रस्तुत किये व जमाबंदी 92.600 आर डी एल सम्वत 2071 ता 74 खाता संख्या नया 52 पुराना 45 की नकल व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा स्वयं के शपथ पत्र पर ब्यान व लिछुराम के शपथ पत्र पर ब्यान प्रस्तुत हुए। प्रतिवादी के ब्यान पर प्रतिपरिक्षण नही हुआ। वादी द्वारा निगरानी राजस्व मंड़ल की नकल पेश की गई तथा वादी द्वारा रामचन्द्र के आरजी काश्त पुख्ता आवंटन का निर्णय बालिग की नकल प्रस्तुत की।

पक्षकारो के साक्ष्य उपरान्त तर्क पक्षकारान सुने गये वादी द्वारा वाद पत्र के तथ्यो को दोहराया गया व प्रस्तुत साक्ष्य की और ध्यान दिलाकर निवेदन किया कि वादी को मूल रूप से रोही मोकलसर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं0 138 में 75 बीघा भूमि [illegible] काश्तकार आवंटित प्रस्तुत साक्ष्य गिरदावरी से पूर्ण रूप से साबित होना बताया। वादी के [illegible] तर्क दिये गये कि वादी की भूमि खसरा नं0 138 से ही पत्थर नम्बर 126/20 के किला नं0 1, 10, 11, 19, 22 का चकबंदी के समय फिटिग हुई। गिरदावरी सम्वत 2024 से 2029 के यह [illegible]ट है। ....लगातार 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:40:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

गिरदावरी सम्वत 2039 से यह भी स्पष्ट है कि इस भूमि में वादग्रस्त चक 92.600 आर डी एल के प0न0 126/20 का निर्माण चकबंदी में होकर इसका कब्जा काश्त रामचन्द्र वादी के पास है। जमाबंदी 2042 में यह अंकन खाता संख्या 04 में प0न0 106/20 गलत अंकित कर रकबा राज अंकित कर दिया जबकी यह रकबा आरजी काश्तकार का आरजी काश्त रकबा है। राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम की धारा 88 का अवलोकन करवाया जिसमें कोई भी काश्तकार अपने अधिकारी की घोषणा करवाने का हकदार है। न्याय निर्णय प्रकाशित आर आर डी 1988 पेज 35 का अवलोकन करवाया व वाद वादी स्वीकार कर चाहा गया अनुतोष प्रदान करने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा तर्क का विरोध किया व लिखित में तर्क दिया कि वादी स्वयं स्वीकार करता है कि उसे आवटित 75 बीघा भूमि मे से 50 बीघा के काश्तकार चकबंदी में अंकित किया जा चुका है। उपनिवेशन अधिनियम के आवंटन नियमो में काश्तकार 50 बीघा बारानी अथवा 25 बीघा कमाण्ड भूमि पाने का पात्र है। इस प्रकार वादी 50 बीघा बारानी जो उसे दिया जा चुका है शेष रकबा हेतु वादी घोषणा पाने का अधिकारी नही है। इस हेतु कानूनी प्रावधानो का अवलोकन करवाया पूर्व में जानबूझकर वादी द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत वाद में आदेश करवाये जो निरस्त हो चुके है। वह 50 बारानी में अधिक भूमि पाने का पात्र नही है इसलिए वाद वादी निरस्त करने की प्रार्थना की समर्थन में आर आर डी 2004 पेज 439, आर आर डी 2004 पेज 441 से 445 आर बी जे 2007 पेज 661 प्रस्तुत की।

पक्षकारान के तर्क सुनने के बाद पूर्व पत्रावली का तर्को के परिपेक्ष्य में गठन व मनन करने पर तनकी वाद निम्न प्रकार से विवेचन पाया जाता है।

तनकी नं0 01 आया वादी रोही माकलसर के खसरा नं0 138 में 75 बीघा का अस्थाई कृषक है? .वादी

इस तनकी का भार वादी पर था। वादी द्वारा इस तनकी को अपने पक्ष में निर्णय करवाने के लिये अपने ब्यान शपथ पत्र पर करवाये। नकल जमाबंदी एवं गिरदावरी प्रस्तुत की है। प्रतिवादी द्वारा इसके विपरीत किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। मात्र पात्रता 50 बीघा तक होने का तर्क व नियम प्रस्तुत किये गये। इस विषय मैं शिकायत बाबत् आवंटन होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया जो लाम्बित है। प्रतिवादी द्वारा कही यह स्पष्ट नही किया गया कि आवंटन के समय यह गावं उपनिवेशन क्षेत्र में था या भू–राजस्व अधिनियम से शासित हो रहा था। प्रस्तुत साक्ष्य से यह पूर्व यथासिद्ध है कि वादी को प्रश्नगत भूमि रोही मोकलसर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं0 138 में 75 बीघा का आरजी काश्त रही हैं। यह भूमि कभी निरस्त या कम की गई यह कही भी स्पष्ट नही है। वादी को 75 बीघा का आवंटन आरजी काश्तकार हुआ यह कथन सन्देह से परे दस्तावेज साक्ष्य स्वयं वादी के शपथ पत्र के आधार पर सन्देह से परे सिद्ध होती है। अतः तनकी नं0 01 बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 02 आया वादी का रकबा रोही मोकलसर के खसरा नं0 138 से चक बंदी में चक नं0 92.600 आर डी एल के प0न0 126/20 के किला नं0 1, 10, 11, 19, 22 की कुल 5 बीघा भूमि में परिवर्तित किया गया है ? .... वादी

इस तनकी का भार वादी पर था। वादी ने स्वयं के कथनो से यह साबित है कि उक्त भूमि की चकबंदी हुई है व चक में यह भूमि चक 92.600 आर डी एल में फिट हुई है। जमाबंदी व गिरदावरी सम्वत 2039 से स्पष्ट है कि बतौर आरजी कातश्कार [illegible] चन्द्र प्रश्नगत भूमि पर काबिज है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 में [illegible] बाद का चला आ रहा हैं। उक्त इन्द्राज आज भी कायम है। विपरीत किसी [illegible] का साक्ष्य नही हैं इसलिए तनकी नं0 02 सन्देह से परे सिद्ध वादी करने में सफल रहा है। तनकी नं0 02 बहक वादी निर्णित की जानी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:40:05 IST
Reason: SelfAttested

.......लगातार 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

तनकी नं0 03 आया वादी विवादित 5 बीघा भूमि पर अस्थाई आवंटन के समय से ही काबिज रहकर काश्त करता है एवं स्वयं की उक्त 5 बीघा का कृषक घोषित होने का पात्र है ?................. वादी

इस तनकी का भाद वादी पर था। वादी स्वयं के ब्यान शपथ पत्र पर प्रस्तुत किये है जिसका प्रतिपरीक्षण हुआ है। साक्ष्य में पढा जाने योग्य। प्रश्नगत भूमि पर सम्वत 2039 में उसकी बतौर आरजी काश्तकार प्रश्नगत भूमि पर कब्जा है। इसके अतिरिक्त विरूद्ध धारा 22 उपानिवेशन अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि से बेदखल करने का मामला जेरकार बताया। इससे यह सन्देह से परे साबित होता है कि वादी का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा है। पुख्ता आवंटन बालिग प्रार्थना पत्र व निर्णयो से उसका कब्जा साबित होता है। अतः तनकी नं0 03 बहक वादी पूर्व निर्णय अनुसार वादी हक में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 04 आया वादी चक 92.600 आर डी एल के प0न0 106/20 के स्थान पर कब्जे के आधार पर खाता में 126/20 दर्ज राजस्व का अधिकारी है ? .... वादी

इस तनकी का भार वादी पर था एवं इसका सम्वत तनकी नं0 03 से है जो वादी के हक में निर्णित की जा चुकी। विपरीत साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नही किये गये। उपरोक्त अनुसार वादी के साक्ष्य के आधार पर तनकी नं. 4 पूर्व रूप के सन्देह से परे सिद्ध होने से बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 5 आया प्रतिवादी नं0 01 खेताराम का चक 92.600 आर डी एल के प0न0 126/20 के किला नं0 1, 10, 11, 19, 22 की कुल 5 बीघा पर कब्जा ना मानकर फिटिग दूरूस्ती की पत्रावली नं0 11/93 दिनांक 13.12.1996 एवं अपील नं0 77/95 निर्णय दिनांक 20.05.1997 दोनो पत्रावली खारीज हो चुकी है। ये दोनो निर्णय वर्तमान में अन्तिम रूप ले चुके है प्रतिवादी खेताराम का उक्त 5 बीघा भूमि का कोई हक नही है ? .... वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। इस तनकी को सिद्ध करने लिए संबंधित न्यायालयों के निर्णय की प्रति पेश की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है। विपरित साक्ष्य बाबत फीटिंग दुरस्ती के प्रकरण लम्बित होने का साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया इसलिये साक्ष्य के आधार पर व विपरित साक्ष्य प्रस्तुत ना होने के आधार पर तनकी नं. 5 बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 6 आया वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी श्रेणी का काश्तकार ना होने से वाद लाने का अधिकारी नही है इसलिए वाद पत्र खारिज हो गया है?.......... प्रतिवादी 02 व 03

इस तनकी को भार प्रतिवादी पर था। उनके द्वारा इस प्रकार का न्याय निर्णय प्रस्तुत नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति काश्तकारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत नही कर सकता। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दोनों प्रकार के काश्तकार है। खातेदार काश्तकार एवं गैर खातेदार काश्तकार अब गैर खातेदार खातेदारी की परिभाषा में वे काश्तकार शामिल है जो खातेदार काश्तकार नही है एवं आरजी काश्तकार भी गैर खातेदार काश्तकार के अधिकार रखता है अर्थात आरजी काश्तकार भी गैर–काश्तकार अपने आरजी काश्तकार की समय [illegible] घोषणा करवाने का अधिकार रखता है। न्याय निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर प्रकाशित आर [illegible] र टी [illegible]88 पेज 357 इसकी पुष्टि करता है। इसके विपरित न्याय निर्णय अथवा प्रावधान प्रस्तुत नहीं [illegible] तनकी नं. 6 सन्देह से परे सिद्ध नही होने से विरूद्ध प्रतिवादी बहक वादी निर्णित की जाती है।

......लगातार 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:40:05 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं. 7 आया जैरवाद रकबा चक 92.600 आर डी एल का प0न0 126/20 का किला नं0 1, 10, 11, 19, 22 का 5 बीघा प्रतिवादीगण की आवंटित रोही मोकलसर के खसरा नं0 138 के पैमूद होने से उक्त रकबा वादी के नाम दर्ज नही किया जा सकता ? .... प्रतिवादी नं0 02 व 03

इस तनकी का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी नं. 2 व 3 द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने के लिये किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जबकि वादी द्वारा अपने कब्जा काश्त की गिरदावरी पेश की है। यह तथ्य तो सिद्ध की रोही मोकलसर के खसरा नं. 138 में प्रश्नगत भूमि प0न0 126/20 का किला नम्बर 1, 10, 11, 19, 22, खसरा नम्बर 138 से बना है किन्तु यह भूमि प्रतिवादी के कब्जा काश्त की 138 खसरा में बने है कतेई सिद्ध नही होते। प्रतिवादी का कब्जा काश्त प्रश्नगत भूमि पर सन्देह से परे सिद्ध नही जबकि वादी का सिद्ध है। प्रतिवादी द्वारा आरआरडी 2004 पैज 439 प्रस्तुत की हैं। यह पुख्ता व स्मालपैच आंवटन के सम्बन्ध में हैं। आंवटन नियमो में पुख्ता आंवटन के सम 50 बीघा बारानी व 25 बीघा नहरी की सीमा हैं। यह मामल पूर्व आरजी आंवटन का हैं। जिस सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त नही फरमाया गया हैं। आरजी आंवटन गैर खातेदारी वादी को पूर्व आंवटन के आधार पर रह सकता हैं। आरजी से पुख्ता आंवटन करते समय आंवटन नियम इ0गा0न0प0 नियम 1975 प्रभावशाली होगें। जिससे आरजी काश्तकार का अधिशेष (Surplus) रकबा उसके बालिग पुत्रो को आंवटन हो सकता हैं। आरजी आंवटन पूर्व आंवटन आरजी काश्त के आधार पर निरस्त न होने की अवस्था में 50 बीघा बारानी से ज्यादा रह सकता हैं। यह घोषणा आ0का0 गैर खातेदार की की जा सकती हैं। अतः उपरोक्त अनुसार तनकी नं. 07 विरूद्ध प्रतिवादी बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 8 आया जैरवाद रकबा से सम्बन्धित प्रकरण माननीय राजस्व मंड़ल में जैरकार होने होने से वाद चलने योग्य नही है ? .... प्रतिवादी नं0 02 व 03

इस तनकी का भार प्रतिवादी पर था। इसे सन्देह से परे प्रतिवादी द्वारा कतई साक्ष्य से सिद्ध नही किया गया है। स्वयं वादी ने राजस्व मण्डल में भिन्न विषय पर रीविजन लम्बित होने के साक्ष्य प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है। जहां तक अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के यहां कार्यवाही लम्बित होने का प्रशन है वह इस रकबा से संबंधित नही है। तनकी वाद विवेचन कर मामला निर्णय किया जाने पर प्रतिबन्ध नही है। इसलिये स्पष्ट कानूनी प्रतिबन्ध के अभाव में तनकी 8 विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार कर वादी को चक 92.600 आर डी एल जमाबन्दी सम्वत् 2039 खाता संख्या 4 के प0न0 106/20 को दुरूस्त कर पत्थर नम्बर 126/20 के किला नम्बर 1, 10, 11, 19, 22 प्रत्येक में 1.00 बीघा कुल 5.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आरजी काश्तकार (गैर–खातेदार कृषक) रामचन्द्र पुत्र भैराराम जाति ब्राहमण निवासी मोकलसर को धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन घोषित किया जाता है। वादी के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 92.600 आर.डी.एल. में प0न0 126/20 के किला नं0 1, 10, 11, 19, 22 में कुल 5 बीघा भूमि यानि 1.265 है0 अनकमाण्ड में चला आ रहा आ0का0 बाद 1955 का अंकन यथावत् रखा जाता हैं। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें। डिक्री जारी हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील तहत दफ्तर दाखिल हो।

आदेश सरे इजलाश दिनांक 24.12.24 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:40:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
संदीप कुमार काकड़
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(ओ.21 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

–:परचा डिकी:–

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : संदीप कुमार काकड़ आर.ए.एस.

दायरा दिनांक:–24.10.2011

प्रकरण सं0:–164/2011

रामचन्द्र पुत्र श्री भैराराम जाति ब्राहम्ण निवासी मोकलसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0 ...वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा:–श्रीमान तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
2. श्री खेताराम पुत्र मघाराम जाति मेघवाल निवासी मोकलसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
3. श्री मुखराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी मोकलसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0। ..प्रतिवादीगण

वादपत्र धारा 88,188 आरटीए मुकदमा नं0 164 वर्ष 2011 यह मुकदमा में पेश होने पर वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, राकेश सारस्वत एवं वकील प्रतिवादी नं0 2 राजवीर भादू हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता हैं व डिकी जारी की जाती हैं कि:–

वाद वादी स्वीकार कर वादी को चक 92.600 आर डी एल जमाबन्दी सम्वत् 2039 खाता संख्या 4 के प0न0 106/20 को दुरूस्त कर पत्थर नम्बर 126/20 के किला नम्बर 1, 10, 11, 19, 22 प्रत्येक में 1.00 बीघा कुल 5.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आरजी काश्तकार (गैर–खातेदार कृषक) रामचन्द्र पुत्र भैराराम जाति ब्राहमण निवासी मोकलसर को धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन घोषित किया जाता है। वादी के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 92.600 आर.डी.एल. में प0न0 126/20 के किला नं0 1, 10, 11, 19, 22 में कुल 5 बीघा भूमि यानि 1.265 है0 अनकमाण्ड में चला आ रहा आ0का0 बाद 1955 का अंकन यथावत् रखा जाता हैं। प्रतिवादीगण को प्रतिबंधित किया जाता है कि वे उपरोक्त भूमि में हस्ताक्षेप ना करें। नोज..........×............ मुबलिग..........×............बाबत..........×............ खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह......×.......फस्दो की पालना ....×............आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 24.12.2024 को जारी किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:40:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक जिलाधीश एवं
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ